राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)

क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/09-10 जयपुर, दिनांकः 16-3-10

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त (राजस्थान)।

विषयः **संविदा कार्मिकों को यात्रा भत्ता आदि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.02.2010 के क्रम में संविदारत कार्मिकों को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आदेशानुसार यात्रा करने पर उन्हें निम्नानुसार यात्रा सुविधा पर किये गये व्यय का पुनर्भरण किया जायेगा :-

1. संविदा कार्मिकों के राजकीय कार्य हेतु यात्रा करने पर बस अथवा रेल का वास्तविक किराये के टिकट पेश करने पर व्यय की गई राशि का पुनर्भरण किया जायेगा।
2. संविदा कर्मी जिनका पैकेज रू. 10,000/- या 10000/- प्रति माह से कम है वे एक्सप्रेस बस अथवा रेल के द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने के लिये अधिकृत होंगे। संविदा कर्मी जिनका पैकेज रू 10000/- रू. प्रति माह से अधिक है, वे डीलक्स बस या रेल की ऐसी-III में यात्रा करने के लिये अधिकृत होंगे।
3. संविदा कर्मी जिनका पैकेज रू. 10000/- या इससे कम है उन्हे यात्रा करने पर डेली अलाउन्स के रूप में रू. 50/- देय होगा। जिनका पैकेज रू. 10000/- से अधिक है, उनको 75/- रू. राशि देय होगी।
4. संविदारत कार्मिकों द्वारा कार्यालय से बस स्टेण्ड/रेलवे स्टेशन या बस स्टेण्ड/रेलवे स्टेशन से कार्यालय (स्थानीय परिवहन) के लिये प्रति किलोमीटर रू. 3/- देय होगा।
5. संविदा कार्मिक जो पहले से ही संविदा के आधार पर कार्यरत है उनका इस वर्ष के लिये इस कार्यालय के पत्र कमांक दिनांक 19.02.2010 के साथ संलग्न प्रारूप में नया अनुबंध दिनांक 28.02.2011 तक के लिये किया जावे। इस वर्ष के लिये नया अनुबंध करते समय केवल उन्हीं कार्मिकों से नया अनुबंध किया जावे, जिनकी गत अनुबंध अवधि में सेवाएं सत्यनिष्ठ, संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण रही है अन्यथा नया अनुबंध नहीं किया जावे।
6. इस वर्ष के लिये नया अनुबंध करते समय यदि उस कार्मिक की सेवाये पूर्ण रूप से संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण रही है तो इस वर्ष के लिये उनकी अनुबंध राशि उस पद की मूल अनुबंध राशि में 10 प्रतिशत जोड़कर निर्धारित की जावे। मूल अनुबंध राशि से अभिप्राय उस पद की प्रथम संविदा करते समय निर्धारित राशि से है। यथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

के पद की मूल अनुबंध राशि 4000/– है। अतः 10 प्रतिशत राशि की गणना रू0 4000/– पर ही की जायेगी। संविदा राशि की गणना करते समय मूल संविदा राशि में यात्रा भत्ता एवं ग्रामीण भत्ता की राशि शामिल नहीं की जायेगी। ग्राम रोजगार सहायक की अनुबंध राशि अप्रेल, 2010 से 2500/– रू. प्रति माह के स्थान पर 3500/– रू. प्रतिमाह कर दी गई है, अतः इसमें गत वर्ष की अनुबंध राशि में 10 प्रतिशत राशि जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

7– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो संविदा कार्मिक संविदा अवधि में किसी भी बीमा कंपनी से वार्षिक मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी लेता है तो प्रीमियम भुगतान की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर 500 रूपये वार्षिक तक की प्रीमियम राशि का पुनर्भरण कर दिया जावे।

8– नया संविदा अनुबंध करते समय संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र भी पुनः प्राप्त कर रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावे।

भवदीय,

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

16/3/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त(राजस्था)।
2. मुकेश विजय, अधिशाषी अभियंता, ईजीएस को वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त(द्वितीय), ईजीएस

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान में संविदा अनुबंध हेतु आवेदन पत्र

श्रीमान् जिला/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी
जिला/पंचायत समिति..................................।
संविदा पद का नाम..

आवेदक का नवीनतम फोटो

आवेदक का पूरा नाम हिन्दी में ....
अंग्रेजी में..
पिता/पति का नाम..
आवेदक का वर्ग(अनु. जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य).......................................
जन्म तिथि अंकों में..
शब्दों में..
(आवेदन दिनांक.................को आयु.............वर्ष.................माह..........दिन........)
पूरा पता स्थायी..
....
वर्तमान..
....
दूरभाष/मोबाईल नम्बर..
ई–मेल आईडी..

शैक्षणिक योग्यताः–

क. सं.	स्तर	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	संकाय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत	विषय
1	सैकण्डरी							
2	सीनियर सैकण्डरी							
3	स्नातक							
4	स्नाकोत्तर							
5	डिप्लोमा							
6	अन्य							

कार्यानुभव :–

क्र. सं	कार्य स्थल	धारित पद	नियोजक का नाम	नियोजक का संपर्क सूत्र/ मोबाईल नम्बर/ई–मेल	की गई संविदा अवधि	प्राप्त किया गया मासिक मानदेय	विशेष विवरण

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि उक्त समस्त सूचनाएं सही एवं सत्य है। किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है। यह भी अधिघोषणा करता हूँ कि मुझे राज्य/केन्द्र के किसी भी राजकीय विभाग से पूर्व में संविदारत/नियमित रहते हुए शिकायत पर नहीं हटाया गया है एवं न ही मैं किसी वित्तीय अनियमितता एवं दुराचरण में लिप्त रहा हूँ। मेरे विरुद्ध छल, आपराधिक प्रन्यास भंग, अभिलेख में कूट रचना अथवा गबन(cheating, criminal breach of trust, tampering in record or misappropriation of funds) का प्रकरण दर्ज/जांच विचाराधीन नहीं है।

स्थान — हस्ताक्षर.................................
दिनांक — नाम......................................